



केन्द्रीय विद्यालय चूरु  
KENDRIYA VIDYALAYA CHURU,  
भालेरी रोड,  
BHALERI ROAD,  
चूरु - 331001  
CHURU-331001

के.वि. चूरु में बागवानी सेवा  
GARDNING SERVICES  
AT K.V. CHURU

निविदा प्रपत्र  
TENDER FORM

2017-18

मूल्य: - 100/- रुपये  
COST : Rs.100/-



**TENDER FORM FOR CONSERVANCY SERVICES AT KENDRIYA VIDYALAYA CHURU,  
BHALERI ROAD, CHURU  
YEAR 2017-2018**

1. Name of Agency submitting the Tender ( एजेंसी का नाम ) .....
2. Postal Address of the agency ( पत्र व्यवहार का पता ) .....
- 3(a) Agency's registration number ( एजेंसी का पंजियन नम्बर ) .....
- 3(b) Registration valid up to .....
- 4(a) (पंजियन नंबर की वैधता की तिथि )  
Service Tax Registration Number ( .....
- 4(b) S.T.-2 ) ( सेवा शुल्क पंजियन )  
Proprietor PAN Number .....
5. Agency's Telephone number with STD code. STD code एसटीडी कोड .....  
Tel. Number फोन नं०.....  
( एजेंसी का टेलिफोन नम्बर मय कोड )
6. Rate quoted for conservancy services on monthly basis for the whole units of Vidyalaya Campus (Main building & old temporary building, covered area, open area, surrounding, stairs, lobbies, corridors, toilets etc.) for all the items of work including cost of materials as per terms & conditions attached.  
सम्पूर्ण विद्यालय के परिसर में बागानों, लॉन, फूलों के घमले, पेड़ और पौधों की रखरखाव की व्यवस्था के लिए निविदा दर :- (एक व्यक्ति के लिए)  
1. सम्पूर्ण विद्यालय के परिसर में बागानों, लॉन, फूलों के घमले, पेड़ और पौधों की रखरखाव की व्यवस्था में प्रयोग किये जाने वाले समस्त सामान की आपूर्ति विद्यालय द्वारा किये जाने पर दर प्रति माह ( 26 दिन ) के आधार पर :- .....
7. Bankers cheque/DD no. with date for Earnest money drawn in favour of "Kendriya Vidyalaya Churu Vidyalaya Vikas Nidhi" for Rs. 3000/(Rs. Three Thousand only) submitted with Tender ( निविदा फार्म के साथ अमानत राशि के रूप में बैंकर्स चेक / डिमाण्ड ड्राप्ट रु० 3,000 का " केन्द्रीय विद्यालय चुरू, विद्यालय विकास निधि" के पक्ष में हो ।  
Banker's cheque/ DD No.....  
बैंकर्स चेक / डिमाण्ड ड्राप्ट नं० .....  
Dated/ दिनांक..... for Rs. 3000/-  
(Rupees Six Thousand only ( रुपये तीन हजार मात्र )  
Drawn at Bank / बैंक का नाम .....
8. **UNDERTAKING**  
I fully agree to comply with the terms & conditions mentioned **APPENDEX-I** attached to this tender form & the same has been signed by me at the bottom of each page of the said terms & conditions.  
मैं समस्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है जो निविदा फार्म के साथ संलग्न है उनके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

Date:.....

Signature of .....  
Head of agency

Name of the person.....  
signing the tender  
Stamp of the Agency.....



## APPENDIX-I

### Terms & conditions for gardening jobs for Kendriya Vidyalaya,Churu केन्द्रीय विद्यालय, चूरु में बागवानी कार्य के लिए नियम एवं शर्तें

|   |   |
|---|---|
| 1. Name of the K.V.<br>केन्द्रीय विद्यालय का नाम  | Kendriya Vidyalaya,Churu<br>केन्द्रीय विद्यालय चूरु   |
| 2. Address/ Location of the building<br>पता एवं भवन की स्थिति                                 | Bhaleri Road, Churu-331001.<br>भालेरी, रोड, चूरु - 331001   |
| 3. Area of the building including open space<br>भवन का क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र सहित            | As on site.<br>जैसी भवन एवं विद्यालय परिसर की स्थिति  |
| 4. No. of days during the month for which<br>the services are required (26 days per<br>month) | All days<br><br>Unless otherwise required on written<br>requisition. Charges for cleaning/<br>Sweeping etc. on Winter, Autumn/ Summer<br>Brek(s) whenever required<br>will be payable on prorata basis . No payment will be<br>made for<br><br>मास के दिनो की संख्या जिसमें सेवा की आवश्यकता<br>होगी- (26 दिन प्रतिमाह) |

#### **कार्य क्षेत्र / SCOPE OF WORK:**

Maintenance and upkeep of gardens, lawns, flower pots, trees and plants in the compound of the Vidyalaya by gardner who will work for 08 Hour daily.  
सम्पूर्ण विद्यालय के परिसर में बागानों, लॉन, फूलों के घमले, पेड़ और पौधों की रखरखाव और सुरक्षा हेतु बागवान जो रोजाना 08 घंटे कार्य करेगा ॥

#### **A. सामान्य शर्तें /GENERAL CONDITIONS**

- (1) Registration पंजीकरण  
The registration of the Firm/Agency should be valid as on date of submission of tender.  
जिस तिथि को निविदा जमा कराई जाएगी उस तिथि को फर्म / एजेंसी का पंजीकरण मान्य होना चाहिए ।
- (2) EMD धरोहर राशि  
Tender will be submitted with the Earnest money of Rs. 3000/- (Rupees Three Thousand only) through Demand Draft/ Banker's Cheque in favour of "Kendriya Vidyalaya Churu, Vidyalaya Vikas Nidhi A/C" at the time of submitting of Tender. EMD of unsuccessful bidders will be returned within 30 days of finalization of contract while EMD of Successful Bidders will be adjusted towards performance Security Deposit @ 5% of total yearly payment and it will be retained for 14 Months from award of contract.  
निविदा फर्म जमा करवाते समय उसके साथ केन्द्रीय विद्यालय चूरु विद्यालय विकास निधि खाते के नाम देय राशि रु. 3,000/- (तीन हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक धरोहर राशि के



रूप में जमा कराना होगा। विफल फर्मों को ठेका जारी होने के 01 महीने उपरान्त उनके द्वारा जमा धरोहर राशि लौटा दी जायेगी एवं ठेका प्राप्त फर्म की धरोहर राशि सुरक्षा राशि जो कि वार्षिक भुगतान की 5% है में समाविष्ट कर ली जायेगी जो की ठेका प्रारम्भ होने के 14 महीने उपरान्त अनुबंध शर्तें पूर्ण होने पर फर्म को लौटाए जायेगी।

**(3) AGREEMENT अनुबंध**

For one year extendable for one year with the consent of both parties and outstanding performance of the work done during last year by the contractor. एक वर्ष के लिए व एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है यदि दोनों पार्टी सहमत हो तथा ठेकेदार द्वारा विगत वर्ष किया गया कार्य उच्चतम स्तर का रहा हो।

**(4) TERMS OF PAYMENT भुगतान की शर्तें**

The Kendriya Vidyalaya shall pay he agreed amount to the contractor on the monthly basis after completion of the month and submission of a certificate by the Committee of Teachers with countersignature of the Principal of the Vidyalaya 'that the work has been done satisfactorily'.

As & when work is found unsatisfactory, the Vidyalaya may engage casual labour(s) and may procure material to bring the quality of gardening work to the desired level, under intimation to the Contractor and the cost of engaging labour plus the cost of materials procured for this purpose will be deducted from the bill of the Contractor for the month.

केन्द्रीय विद्यालय ठेकेदार को तब राशि मासिक आधार पर महीने के समाप्त होने पर तथा अग्रदाताओं की सफाई द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र कि 'कार्य सन्तोषप्रद रूप से किया गया' तथा उस प्रमाण पत्र पर प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर के बाद भुगतान किया जाएगा।

जब कभी ठेकेदार को कार्य असंतोषप्रद होगा विद्यालय अपने स्तर पर दैनिक मजदूर लगाकर, कठित सामग्री काय करके बाचवानी व अनिश्चित कार्य करवा सकता है, इसकी सूचना ठेकेदार को भी दे दी जाएगी तथा मजदूरी व सामग्री को घेरे खर्च की गई राशि उस महीने के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल में से काट ली जाएगी।

**B. REQUIREMENTS FROM THE STAFF OF THE AGENCY WITH THEIR DUTIES, BEHAVIOUR ETC.**

**एजेंसी के कर्मचारियों से कर्तव्य पालन, व्यवहार आदि की अपेक्षा।**

- The contractor shall comply with all the laws and regulations applicable in the mater of such workers as are engaged by it.  
ठेकेदार अपने समस्त कर्मचारियों, जो उससे संबंधित है, के बारे में लागू कानून व विधियों को मानने को बाध्य होगा।
- The contractor's staff shall not disturb the employees of the Kendriya Vidyalaya or make any sort of noise in the Vidyalaya premises.  
ठेकेदार के कर्मचारी, केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के कार्य में व्यवधान नहीं डालेंगे व विद्यालय परिसर में शोर-सुराज नहीं करेंगे।
- The contractor's workers shall be polite, courteous, well behaved and honest.  
ठेकेदार के कर्मचारी विनम्र, सदाचारी, अच्छे व्यवहारी व इमानदार होंगे।
- The contractor shall be fully responsible and liable for any theft, burglary, fire or any other mischievous deed done by its workers.  
ठेकेदार अपने कर्मचारियों के चोरी, धोखाधड़ी, जगजगी या अन्य किसी भी प्रकार के दुष्प्रवहार के लिए पूर्ण उत्तरदायी व जिम्मेदार होगा।
- The antecedents of all the workers will be got verified from police by the agency before deployment for work.  
ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्ति से पूर्व पुलिस द्वारा प्रमाणित अश्लिलता भौरा प्रस्तुत करेगा।
- The contractor's workers shall not enter into any unlawful activity within the Kendriya Vidyalaya premises and shall have a good moral character.  
ठेकेदार के कर्मचारी केन्द्रीय विद्यालय परिसर में गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे व अच्छा नैतिक चरित्र रखेंगे।
- The Kendriya Vidyalaya shall have a right to impose cash penalty on the contractor or deduct such amounts from its security deposit in case the Kendriya Vidyalaya is put to any financial loss directly or indirectly by any act of omission or commission on the part of the contractor's workers.  
यदि ठेकेदार व उसके कर्मचारी केन्द्रीय विद्यालय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं तो ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने की बदली नगद या ठेकेदार द्वारा जमा संस्था राशि में से काट ली जाएगी।



8. The contractor shall be directly responsible for the payment of wages and other statutory Liabilities which should not be less than the rates prescribed by the State Govt. /Central Government whichever is higher and will include such other benefits as may be available to its employees under the relevant Acts and Regulations applicable in the State/Center. The Kendriya Vidyalaya shall not entertain any such claim of the person employed by the contractor and shall not be liable for it.

टेकेदार अपने कर्मचारियों को मेहनताना व अन्य परि लाभ राज्य सरकार/केंद्र सरकार की दर में से जो भी अधिक है द्वारा निर्धारित धारा कानून व नियमों के अनुसार ही देगा. इसमें कोई कमी नहीं रखेगा। यदि इसमें कोई कमी होगी तो केन्द्रीय विद्यालय किसी भी कर्मचारी के दावे पर न तो विचार करेगा और न ही उत्तरदायी होगा।

9. Insurance & accident risks of the workers will be the responsibility of the contractor.

टेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दुर्घटना जोखिम आदि के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा।

10. All the workers of the contractor shall be free from infectious diseases.

टेकेदार के सभी कर्मचारी संक्रमित बीमारी से मुक्त होंगे।

11. The contractor will ensure that proper license/permission from the concerned authorities, wherever applicable, are obtained promptly.

टेकेदार अपने कार्य में जहाँ भी आवश्यक होगा, लाइसेंस / अनुमति आदि संबंधित अधिकारियों से पूर्णतः प्राप्त करेगा।

12. The contractor shall in no case transfer the services it is required to perform under this agreement to any other contractor or person without prior permission from the Kendriya Vidyalaya in writing.

टेकेदार अपने एग्रीमेंट के अनुसार ही सेवाएं देगा। केन्द्रीय विद्यालय की लिखित पूर्वानुमति के बिना वह अपनी सेवाएं किसी अन्य टेकेदार या व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं करेगा।

13. The contractor shall employ sufficient number of workers to ensure that the work is done in time to the satisfaction of the Kendriya Vidyalaya. Sufficient workers will be employed for discharging the responsibility with supervisors to supervise the work

टेकेदार केन्द्रीय विद्यालय में संतोषप्रद कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में अपने कर्मचारी नियुक्त करेगा।

पर्याप्त कर्मचारी जमादार की देखरेख में पूर्ण उत्तरदायित्व से कार्य करेंगे।

14. The Kendriya Vidyalaya reserves the right to order any worker of the contractor to leave the premises of the Kendriya Vidyalaya if his presence at any time is felt undesirable.

टेकेदार के किसी भी कर्मचारी को केन्द्रीय विद्यालय परिसर छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है यदि किसी भी समय उसकी उपस्थिति अवांछित महसूस हो।

- C. **टेका निरस्त करने की सूचना / NOTICE OF TERMINATION OF CONTRACT**

The contract can be terminated without assigning any reasons by giving one months notice in writing by either side.

बिना कोई कारण स्पष्ट किए विद्यालय की ओर से एक माह के नोटिस (सूचना)पर टेका निरस्त किया जा सकता है।

- D. **सुपरविजन (जमादार द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण) / SUPERVISION**

The contractor shall authorize a person to supervise the gardening service that will report to the designated officer or any other of the Kendriya Vidyalaya so authorized as and when he is required to do so by the Kendriya Vidyalaya.

टेकेदार बागवानी के लिए एक व्यक्ति को अधिकृत करेगा जो केन्द्रीय विद्यालय के नामित अधिकारी या अन्य अधिकारी को रिपोर्ट देगा। केन्द्रीय विद्यालय द्वारा ऐसे अधिकृत को आवश्यकता पड़ने पर तलब किया जा सकेगा।

- E. **दरें / RATES**

At times when work is taken for a period less than a week because of closure of the Vidyalaya etc., rates would be calculated on daily basis and payment made accordingly.

विद्यालय के एक सप्ताह से कम दिनों में खुलने पर जब कार्य एक सप्ताह से कम होगा तब दरों की दिनों के आधार पर गणना की जाएगी व भुगतान उसी के अनुरूप किया जाएगा।

- F. **न्यायिक मध्यस्थता / ARBITRATION**

In case of any dispute between the contractor and the Kendriya Vidyalaya arising out of or in relation to the agreement, the dispute shall be referred to a sole Arbitrator to be appointed by the Kendriya Vidyalaya and the decision of such Arbitrator shall be conclusive and binding on both the parties. The Provisions of the Indian Arbitration Act, 1940, shall govern the arbitration.

ठेकेदार व केन्द्रीय विद्यालय के मध्य कटौती या एग्रीमेंट के संबंध में यदि कोई विवाद हे मामला केन्द्रीय विद्यालय द्वारा नियुक्त एवं मात्र न्यायिक मध्यस्थ को हस्तांतरित किया जाएगा और इस प्रकार के न्यायिक मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और उसे मानने के लिए दोनों पर बाध्य होंगे। मध्यस्थ का प्रावधान भारतीय न्यायिक मध्यस्थता कानून 1940 के अनुसार होगा।



**G. न्यायिक क्षेत्र/JURISDICTION**

The courts at the station will have jurisdiction over all Legal disputes under this agreement.

इस एग्रीमेंट के सभी कानूनी वाद-विवाद स्थानिय न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में ही रहेंगे।

**H. All benefit due to Gardener will be borned by contractor & the same must be shown & included in the tender rates quoted. The certificate of the payment for all expenditure may be submitted every month to Vidyalaya.**

बागवान के सभी लाभ ठेकेदार द्वारा उठाए जाएंगे और उद्धृत किए गए निविदा दरों में उसे दिखाया जाना चाहिए। सभी व्यय के लिए भुगतान का प्रमाण पत्र हर महीने एजेंसी द्वारा विद्यालय को जमा करवा आवश्यक है।

All the above conditions are accepted by me / us. &

Demand Draft No. \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ for Rs. 3000/- ( Rs. Three Thousand Only) drawn at Bank \_\_\_\_\_ towards earnest money enclosed herewith.

Date : \_\_\_\_\_

Signature of Tenderer  
with seal of the firm

| विवरण  | दर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन | पी0 एफ0 दर(नियोक्ता अंशदान) | ई0 एस0 आइ0 दर (नियोक्ता अंशदान) | सर्विस चार्ज प्रति कर्मचारी प्रति माह | अन्य चार्ज, यदि कोई हो | कुल राशि प्रतिमाह (26 दिन के अनुसार) |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|  | A                          | B                           | C                               | D                                     | E                      | (A to E)                             |
| सम्पूर्ण विद्यालय के परिसर में बागानों, लॉन, फूलों के घमले, पेड़ और पौधों की रखरखाव और सुरक्षा हेतु बागवान |                            |                             |                                 |                                       |                        |                                      |

सभी प्रकार की न्यूनतम मजदूरी एवं चार्जेज जैसे पी0 एफ0, ई0 एस0 आइ0, सर्विस टैक्स इत्यादि का भुगतान फर्म के द्वारा अपने स्तर पर केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार करना होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर .....

फर्म का नाम.....

फर्म की मोहर.....